

IV 138/25



उत्तर प्रदेश UTTAR P

AL 118413

स्टाम्प-1,000/-



पूरक/अतिरिक्त समूह समझौता (CONSORTIUM AGREEMENT)

यह अतिरिक्त समूह समझौता लखनऊ में दिनांक--29.05.2025 को संपादित और निष्पादित किया गया है।

पक्षकार

1. ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री मुन् लाल यादव निवासी-मिरानपुर पिनवट, परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ उ0प्र0 के माध्यम से (यह अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके नामांकित, उत्तराधिकारी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और अनुमोदित असाइन शामिल माने जायेंगे) तथा
2. श्री राम नरायन पुत्र राम किशुन उर्फ राम किशन, निवासी-109, ग्राम मीरानपुर पिनवट, थाना-सरोजनी नगर, औरावां, लखनऊ, उ0प्र0, के माध्यम से (यह अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके नामांकित, उत्तराधिकारी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और अनुमोदित असाइन शामिल माने जायेंगे)।

Scanned Total Pages: 12

दि. ३०/०५/२०२५

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Shindeen Singh

Director

21/07/2025





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पार्टी संख्या-01 को प्रमुख डेवलपर्स नियुक्त किया गया है, तथा पार्टी संख्या-02 को सामूहिक रूप से समूह सदस्य (CONSORTIUM MEMBER) कहा जायेगा।

अब यह समूह समझौता और इसकी शर्तें इस प्रकार हैं:

1. प्रमुख सदस्य:

सभी समूह सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि० को निजी डेवलपर्स और सदस्य नियुक्त किया गया है।

2. समूह समझौते का उद्देश्य और दायरा :

1. इस समूह समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्राम-नटकुर परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनीनगर जिला-लखनऊ में परियोजना का विकास करना है।
2. प्रमुख सदस्य परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा और नगर विकास हेतु सभी कार्यों (डिजाइन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, बिक्री, संचालन और रख-रखाव) को अकेले करेगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

[Signature]

Director

रा. १२/०७



3. परियोजना प्रबंधन ढांचा और नियम:

ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि०, समूह के निजी डेवलपर्स के रूप में कार्य करेगा तथा एल०डी०ए०/लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरणों की परिभाषा के अनुसार भूमि और वित्त की व्यवस्था करेगा।

4. वित्तपोषण और व्यय/परिश्रमिक का वितरण आधार आधार :

1. परियोजना से संबंधित सभी व्यव प्रमुख सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।
2. ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि० समूह वित्तीय संस्थानों/बैंको से ऋण उठाएगा और इसके लिए समूह सदस्यों की संपत्ति के मूल दस्तावेज गिरवी रखेगा।
3. ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि० किसी भी संस्था से नक्शा पास कराये, डेवलपमेंट आदि कराये जिसमें द्वितीय पक्ष राम नरायन को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. परियोजना पूर्ण होने पर लाभ और और हानि को समूह सदस्यों के शेयरधारिता अनुपात में बांटा जाएगा।

5. सामान्य नियम और शर्तें:

1. विधि शासित कानून: यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार होगा।
2. बलात् आपदा (Force majeure): किसी सदस्य पर असामान्य परिस्थितियों में समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
3. विवाद समाधान : सभी सदस्य आपसी सहमति से विवादों का निवारण करेंगे, असफल होने पर नियुक्त मध्यस्थ के पास मामला जाएगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.



Director

२५/११/२०



आवेदन सं०: 202501041027312

भागीदारी विलेख

वही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 138

वर्ष: 2025

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा
शैलेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री मुन् लाल यादव
व्यवसाय : अन्य

निवासी: मिरानपुर पिनवट, परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ उ०प्र०



श्री, ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा

शैलेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/05/2025 एवं

11:31:32 AM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय कुमार सिंह

उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

30/05/2025

सुनील कुमार तिवारी

निबंधक लिपिक

30/05/2025

4. **त्याग (Waiver):** किसी सदस्य द्वारा किसी उल्लंघन को माफ करने का अर्थ भविष्य में उसी नियम का त्याग नहीं होगा।
5. **पूर्णता:** यह समझौता सदस्यों की पूर्ण सहमति का प्रतिबिंब है और इससे पूर्व कोई भी मौखिक या लिखित समझौता निरस्त होगा।
6. **गोपनीयता:** कोई भी सदस्य इस समझौते की जानकारी तृतीय पक्ष को नहीं देगा, सिवाय उत्तर प्रदेश सरकार के।
7. **सूचना:** सभी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी और हस्ताक्षरित या फैक्स द्वारा भेजी जाएगी।
8. यह कि दोनों पक्षों ने उ0प्र0 के जिला-लखनऊ के ग्राम-नटकुर में स्थित परियोजना भूमि को "MIDTOWN ELEGANCE" नाम और शैली के तहत अचल संपदा परियोजनाओं में विकसित करने के उद्देश्य से एक संघ बनाने के लिये एक समझौते में प्रवेश किया और इसे निष्पादित किया।
9. (1) **समाप्ति:** यह समझौता निम्नलिखित तम से पहले घटित होने वाली घटना पर समाप्त हो जाएगा:
 - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना।
 - परियोजना का पूर्ण हो जाना।
- (2) यह समझौता परियोजना पूर्ण होने तक वैध और प्रभावी रहेगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Shashank Jais

Director

दि १२/५/२०



श्री तरुणेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री यश बहादुर सिंह

निवासी: 365, एस एस ए नगर कालोनी, दरोगा खेड़ा, मीरानपुर पिनवट, औरावां, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

P.K.Singh



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संदीप कुमार सिंह

उप निबंधक सप्रजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

30/05/2025

सुनील कुमार तिवारी

निबंधक लिपिक लखनऊ

30/05/2025

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

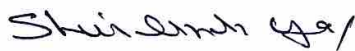


10. विविध/उत्तरदायित्व:

- a) यदि किसी प्रावधान को अवैध या अमान्य घोषित किया जाता है तो शेष समझौता प्रभावी रहेगा।
- b) सभी पक्ष रियल स्टेट अधिनियम 2016 से सम्बन्धित सभी अनुपालनों के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे, सभी परियोजना के सफल समापन और सैपने के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

इस लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यता पूर्वक उल्लेख कर दिया गया है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह विलेख पक्षकारों द्वारा दिये कागजातों एवं उनके द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी उभय पक्षों की होगी। जिसमें टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता का किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी व सरोकार व वास्ता नहीं होगा।

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.


Director

रति १२/५/१८



आवेदन सं०: 202501041027312

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 138

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

भागीदार: 1

श्री ग्रीन एप्पल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के द्वारा शैलेन्द्र यादव, पुत्र श्री मुन्नु लाल यादव

निवासी: मिरानपुर पिनवट, परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

भागीदार: 2

Shikhar 849



श्री राम नारायण, पुत्र श्री राम किशुन उर्फ राम किशन

निवासी: 109, ग्राम मीरानपुर पिनवट, थाना-सरोजनी नगर, औरंगाबा, लखनऊ, उ0प्र0,

व्यवसाय: अन्य

25/11/2025



Handwritten signature

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कुलदीप यादव, पुत्र श्री विजय कुमार यादव

निवासी: मीरानपुर पिनवट, औरंगाबा, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

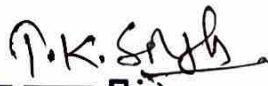
लखनऊ

दिनांक:-29.05.2025

गवाहान :

1. 
(कुलदीप यादव)
पुत्र विजय कुमार यादव
नि0-मीरानपुर पिनवट, औरावां, लखनऊ।



2. 
(तरुणेन्द्र कुमार सिंह)
पुत्र यज्ञ बहादुर सिंह
नि0-365, एस एस ए नगर कालोनी,
दरोगा खेड़ा, मीरानपुर पिनवट, औरावां, लखनऊ।



प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

Green Apple Infratech Pvt. Ltd.

Director



रवि १४५७

टाइपकर्ता
(अक्ष कुमार)

सौरभ श्रीवास्तव "शानू"
मसौदाकर्ता/डवोकेट
सदर लखनऊ
(सौ. श्रीवास्तव 223513)
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ
मो0 नं-7309223513



आवेदन सं०: 202501041027312

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ 153 से 164 तक क्रमांक 138 पर दिनांक 30/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

30/05/2025

